



क्रमांक: एफ 40(35)ग्रावि/नरेगा/व्य. ला. कार्य/पार्ट-4/2016(पार्ट.2) जयपुर, दिनांक:

7 JUN 2016

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं  
जिला कलक्टर, समस्त (हनुमानगढ़ को छोड़कर)।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत राज्य के एनआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) ब्लॉकों में व्यक्तिगत लाभ के कार्यों के सुचारु क्रियान्वयन हेतु महिला स्वयं सहायता समूह से सम्बद्ध परिवारों को प्राथमिकता देने बाबत।

महोदय/महोदया,


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजीविका द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों से सम्बद्ध 1.0 लाख परिवारों के खेतों पर महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत राजीविका से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 24.04.2016 को आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में योजनान्तर्गत पूरक वार्षिक कार्य योजना में 1.05 लाख परिवारों के कार्यों हेतु अनुमोदन कराया जा चुका है।

कृपया उक्त परिवारों के व्यक्तिगत लाभ के कार्यों की नियमानुसार स्वीकृतियां शीघ्र जारी कर कार्य प्रारम्भ करावे, ताकि आगामी मानसून से पूर्व ही इन परिवारों को योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उक्त कार्यों की स्वीकृतियां जारी होते ही मस्टररोल जारी करते समय इन कार्यों हेतु अकुशल श्रमिक प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करावे।

मस्टररोल जारी किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय निर्देश दिनांक 21.09.2015 (प्रति संलग्न) के अनुसार "जिन ग्राम पंचायतों में इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध है अथवा जो ग्राम पंचायतें अन्य ग्राम पंचायत/पंचायत समिति पर स्वयं के स्तर से डाटा एन्ट्री का कार्य कर सकती हैं ऐसी ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के स्तर से नरेगा सॉफ्ट पर रोजगार की मांग दर्ज की जाकर कार्य का आवंटन किया जायेगा एवं कार्य आवंटन कर नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से मस्टररोल जनरेट किये जाने हेतु कार्यक्रम अधिकारी को सूचित किया जायेगा।" अतः तदनुसार कार्यवाही करावे, ताकि कार्यों के क्रियान्वयन में विलम्ब न हो।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(राजीव सिंह ठाकुर)  
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं स्टेट प्रोजेक्ट डाइरेक्टर, राजीविका, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त (हनुमानगढ़ को छोड़कर)।
6. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त (हनुमानगढ़ को छोड़कर)।

३३ ०१-०६-१६

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/56002/2014

जयपुर, दिनांक :

21 SEP 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी नरेगा  
समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर से डाटा एन्ट्री एवं मस्टररोल जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्तमान में डाटा एन्ट्री एवं मस्टररोल जारी किये जाने की प्रक्रिया पंचायत समिति स्तर से की जा रही है। कुछ जिलों में डाटा एन्ट्री का कार्य ग्राम पंचायत स्तर से भी किया जा रहा है परन्तु मस्टररोल पंचायत समिति स्तर से ही जारी की जा रही है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की संशोधित अनुसूची 1 में उपलब्ध प्रावधान के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत के कार्यान्वयन एजेन्सी होने की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा डाटा एन्ट्री एवं मस्टररोल जारी की जावे ताकि अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सके। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. नरेगा सॉफ्ट से मस्टररोल जैनरेट किये जाने की शक्तियाँ कार्यक्रम अधिकारी में ही निहित रहेगी।
2. जिन ग्राम पंचायतों में इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध है अथवा जो ग्राम पंचायतें अन्य ग्राम पंचायत/पंचायत समिति पर स्वयं के स्तर से डाटा एन्ट्री का कार्य कर सकती हैं ऐसी ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के स्तर से नरेगा सॉफ्ट पर रोजगार की मांग दर्ज की जाकर कार्य का आवंटन किया जायेगा एवं कार्य आवंटन कर नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से मस्टररोल जैनरेट किये जाने हेतु कार्यक्रम अधिकारी को सूचित किया जायेगा।
3. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत से प्राप्त उक्त आग्रह के अनुरूप निम्नानुसार समीक्षा की जायेगी :-
  - I. ग्राम पंचायत द्वारा प्रगतिरत कार्य हेतु ही मस्टररोल जारी की गयी है। यदि नये कार्य हेतु मस्टररोल जारी की गयी है तो ग्राम पंचायत में प्रगतिरत कार्य उपलब्ध नहीं है अथवा उपलब्ध प्रगतिरत कार्यों पर सभी मांग करने वाले व्यक्तियों को रोजगार पर नियोजन किया जाना संभव नहीं है।
  - II. ग्राम पंचायत स्तर पर सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं होगा।

